राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1754/2025 पप्पूलाल बनाम लालचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/01/2026 को पेश हो।	
07/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/10/2025 पारित करते हुये आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्षों को राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/10/2025 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष/उज्र प्रस्तुत किया जाना अभी शेष है एवं बाद सुनवाई पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार जाहिर नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस अपील के माध्यम से कोई हस्त;क्षेप किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 07/10/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	